प्रेस नोट

थाना – सिम्भावली दिनांक 28-03-2024

- **थाना सिम्भावली पुलिस ने अपनी पुत्री की हत्या करने वाले हत्यारोपी पिता को किया गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर समाज में बदनामी के डर से अपनी पुत्री योगिता की हत्या करना स्वीकार किया है।**

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 81/2024 धारा 302,34 भादवि से सम्बन्धित/नामजद अभियुक्त (हत्यारोपी पिता) को खुडलिया अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मृतका योगिता का प्रेम प्रंसग गाँव के एक लडके से चल रहा था, काफी समझाने पर भी नही मानती थी तथा उस लडके से चोरी छिपे बात करती रहती थी, इससे गाँव मे हमारी काफी बदनामी हो रही थी, इससे तंग आकर मैंने उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई और दिनांक 25.03.2023 की रात्रि को मैंने व मेरी पत्नी ने मिलकर गर्दन तोड़कर उसकी हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमित पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खुडलिया थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना प्रभारी थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री महन्थराज यादव थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
3. उ0नि0 श्री प्रियांशु कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
4. है0का0 595 फरमान अली थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
5. है0का0 614 आदेश कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
6. का0 247 अंकित कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
7. का0 770 योगेश कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड।